रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73
REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 1979/पौष 16, 1900
No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 1979/PAUSA 16, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1978

सा० का० नि० 1.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) (कनिष्ठ सालिसिटर) भर्ती नियम, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ताओं के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय (विधि कार्य विभाग) (कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंग जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

Attested

MADRAS

1	2	3	4	5	6	7
35. Skilled Worker	2	General Central Service Group-C (Non-Gazetted) (Non-Ministerial).	Rs. 425-15-560-EB-20-640.	Non-Selection.	Between 21—35 Years. The crucial date for determining the age limit will be closing date for receipt of applications from candidates in India (Other than the Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	1. Matriculation or equivalent. 2. National Trade Certificate or equivalent in the trades with 5 years experience in an industry OR National Apprenticeship Certificates in the trades with 3 years experience in an industry.

8	9	10	11	12	13
Age : No. Qualifications : Yes.	Two Years.	By transfer failing which by direct recruitment.	Transfer : Officers holding analogous or equivalent posts in other Central/State Government Offices.	Director, A.T.I., Madras OR Regional Director, of App. Training, Madras.—Chairman (Note : The Senior of these two officers will be Chairman and the Junior will be a Member). Principal, C.T.I. for Instructors, Madras —Member Under Secretary, D.G.E.&T., New Delhi —Member	Not applicable.

[No. DGET-19/2/78-AVTS]
K. S. BAROI, Deputy Secretary.

नई दिल्ली 16 दिसम्बर, 1978

सा॰ का॰ नि॰ 31.—केन्द्रीय सरकार, कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 (1948 का 48) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सा॰ का॰ नि॰ 1771, तारीख 14 नवम्बर, 1966 द्वारा बनाई गई नेवेली कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1966 को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विखण्डित करती है।

2. केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम को भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख, से ऐसी लिग्नाइट खानों को लागू करती है जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित किए जाते हैं।

(सं॰आर॰ 11012(4) -75 पी॰ एफ॰ 1 (1)

हंस राज छाबड़ा उप सचिव,

New Delhi, the 16th December, /1978

G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Coal Mines Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1948 (48 of 1948), the Central Government hereby rescinds the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme 1966 made vide G.S.R. 1771 dated the 14th November, 1966 with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

2. In exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (3) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby applies the said Act to Lignite Mines which employ twenty or more persons with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India

[R-11012(4)/76.PFI(i)]
HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1978,

सा॰ का॰ नि॰ 32.—कोयला खान विनियम, 1957 का संशोधन करने के लिए विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप जैसा कोयला खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित है, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 1709, तारीख 5 दिसम्बर, 1977 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में पृष्ठ 3449-50 पर प्रकाशित किया गया था और उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार मास की अवधि की समाप्ति के पश्चात् तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;

और उक्त राजपत्र जनता को 24 दिसम्बर, 1977 को उपलब्ध करा दिया गया था,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रारूप को, उक्त अधिनियम के अधीन

Attested

अधिकारी
प्रकाशन विभाग,
दिल्ली-54 21/11/72